

कार्यालय जिला कलेक्टर (आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग) जालोर

क्रमांक/सहायता/आंगनवाडी/2020/ 9133

दिनांक 18/12/20

—:: प्रशासनिक स्वीकृति आदेश ::—

मानसून वर्ष 2020 (संवत् 2077) में मानसून अवधि वर्ष 2020 (संवत् 2077) में अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों (आंगनवाडी भवनों) की तात्कालिक मरम्मत/पुनरुत्थान हेतु उप निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं जालोर से अनुशंषा सहित ब्लॉक सायला, सांचोर, भीनमाल के प्रस्तावों को आ.प्र.सहा.एवं ना.सु.वि. जयपुर में भेजा जाने पर प्रस्तावों पर विभाग द्वारा जारी स्वीकृति आदेश एफ 8(4) आ.प्र.एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ/20/13699-702 दिनांक 03.11.2020 की पालना में राज्य आपदा मोचन निधि से निम्नानुसार पंचायत समितिवार प्रस्तावित कुल क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत हेतु उनके आगे अंकित राशि अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। पंचायत समिति क्षेत्रवार अनुमोदित क्षतिग्रस्त आंगनवाडी भवनों की मरम्मत के लिए कार्यकारी एजेन्सी सम्बन्धित पंचायत समिति रहेगी:-

क्र.सं.	पंचायत समिति क्षेत्र	तहसील	नाम क्षतिग्रस्त कार्य	तात्कालिक मरम्मत हेतु राशि (लाखों में)
1	सायला	सायला	आंगनवाडी भवन कुल कार्य (43)	35.04
2	सांचोर	सांचोर	आंगनवाडी भवन कुल कार्य (25)	33.75
3	भीनमाल	भीनमाल	आंगनवाडी भवन कुल कार्य (12)	12.09
			महा योग	80.88

अक्षरे रुपये अस्सी लाख अट्ठ्यासी हजार रुपये मात्र।

उक्त व्यय मांग संख्या - 34 लेखा मद 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहते 02-बाढ चकवात आदि 107-खराब खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनर्स्थापना (02) (बाढ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत) (01) बाढ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत, 21- अनुसूचक एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) प्रतिबद्ध के अन्तर्गत वहन किया जावेगा।

स्वीकृति की प्रमुख शर्तें :-

- 1 वि0ले0 नियमों, एवं एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 के तहत भारत सरकार से जारी संशोधित नियम/ नॉर्म्स दिनांक 8.4. 2015 तथा आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार करेंगे।
- 2 संयुक्त शासन सचिव आ.प्र.सहा.एवं ना.सु.वि. राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ 8(4) आ.प्र.एवं सहा./प्रस्ताव / बाढ / 20/ 13715-21 जयपुर दिनांक 03.11.2020 की शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- 3 कार्य गुणवत्तापूर्ण करवाया जाकर उपखण्ड स्तरीय समिति से सत्यापन करवाकर, रिपोर्ट बिल के साथ भिजवाना सुनिश्चित की जावे।
- 4 इस स्वीकृति के आधार पर अनुमोदित कार्यों की सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी तकनीकी स्वीकृति जारी कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलेक्टर
जालोर

क्रमांक:/एफ 10()आ.प्र.एवं सहा./2020/ 9134-53

दिनांक 18/12/20

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

- 1 शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 जिला प्रमुख महोदय जालोर।
- 3 जिला पुलिस अधीक्षक, जालोर।
- 4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर।
- 5 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रशासन, जालोर।
- 6 अधीक्षण अभियन्ता, सानिवि वृत्त, जालोर।
- 7 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर।
- 8 अधीक्षण अभियन्ता, सानिवि वृत्त, जालोर।
- 9 उपखण्ड अधिकारी, सायला, सांचोर, भीनमाल।
- 10 उप निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं जालोर
- 11 विकास अधिकारी, पंचायत समिति सायला, सांचोर, भीनमाल।
- 12 तहसीलदार, सायला, सांचोर, भीनमाल।
- 13 जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जालोर।
- 14 निजी सहायक, जिला कलेक्टर, जालोर।

प्रभारी अधिकारी (आ.प्र.सहा. एवं ना.सु.वि.)
जालोर